न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 51/2013 (उदयपुर डिक्री)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लहरीलाल पिता जयकिशन ब्राह्मण निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री मोतीलाल पिता जयकिशन ब्राह्मण निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री भवानीशंकर पिता ाजयकिशन ब्राह्मण निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री नाना पिता जेता मीणा निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री भगवानलाल पिता जेता मीणा निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 22–11–2005
प्रकरण संख्या 129/2002 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता
2– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3

———/———

निर्णय दिनांक 25–10–2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 व 5 के विरूद्ध धारा–88 का दावा पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बाठरड़ा

खुर्द में स्थित आराजी नंबर 25 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 में दर्ज है इस भूमि को वादीगण के पिता जयकिशन ने दिनांक 10–3–1953 को 725/–रूपये में प्रतिवादीगण के पिता जेता से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तब से 35 वर्षो से निरन्तर उनका कब्जा है। नामान्तरण विक्रय विलेख खाम कागज बही पर होने से नहीं हो सका। इस कारण भूमि प्रतिवादीगण व उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व क्रय की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–63(4) के तहत भी प्रतिवादीगणों के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रतिकूल कब्जे से वादी खातेदार हो चुके है। वादीगण रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 1 से 3 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाय। प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 ने सहमति का जवाबदावा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 22–11–2005 को वादी का वादी खातेदारी घोषणा का डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–5–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट सरकार द्वारा 22–3–2013 को यह अपील पेश की गई। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उन्हें निर्णय की जानकारी 13–8–2012 को सर्व प्रथम होने व उसके बाद विभिन्न राजकीय कार्यो में व्यस्त हो जाने के कारण उनके द्वारा अपील पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित व प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत रखते हुए व अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पक्षकार नहीं होने के कारण मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील क साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का भी आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में खातेदारी घोषणा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण को खातेदारी दर्ज गई है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होन`से अपीलान्ट के भूमिधारी होने के कारण उसके विधिक दायित्व होने के तहत तथा विधि की पालना किये जाने के दृष्टिकाण से अपीलान्ट आवश्यक हितबद्ध व व्यथित पक्षकार है।

अतएव उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

प्रकरण में अपील के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट को न्यायहित व विधि की पालना के दृष्टिकाण से अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने उपस्थिति दी, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय निर्णय विधि व न्याय के विपरीत है। साक्ष्यों का त्रुटिपूर्ण विवेचन किया गया है। अपंजीकृत बिकावनामे के आधार पर जो कि 100/–रू0 से अधिक प्रतिफल का है तथा पंजीयन आवश्यक है। उसे आधार बताकर धारा–42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध वाद डिक्री किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि वर्ष 1953 के अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया है तथा अपंजीकृत विक्रय पत्र इकरारनामें से अधिक महत्व नहीं रखता तथा इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में घोषाणात्मक डिक्री नहीं दी जा सकती। वर्ष 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद तथा धारा–42(बी) के प्रवृत्त होने के बाद अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सवर्ण को प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। क्योंकि जो घोषणा विधि विरूद्ध हो उसे जागते हुए नहीं किया जा सकता, उसे सो कर

(प्रतिकूल कब्जे/निष्क्रियता/सहमति) के आधार पर विधिक प्रतिकूल कब्जा प्रमाणित नहीं माना जा सकता, यहा पर तो प्रतिवादी द्वारा सहमति ली गई है। अतएव प्रतिकूल कब्जे का प्रमाणन हो ही नहीं सकता।

समग्र रूप से हम इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वरा पारित डिक्री को तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2005 खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनाम **1– श्री लहरीलाल पिता जयकिशन ब्राह्मण**
वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.) **निवासी बाठरड़ा खुर्द तहसील**
वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–4

अपील नं0 **51/2013** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**वल्लभनगर** .....मुकाम मुर्क्खे.....**22**.....माह.....**11**.....**2005**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**25**..... माह .....**10**..... सन् **2017** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री पंकज भटनागर** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2005 खारिज की जाती है।** (खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**25**..... माह .....**10**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।